

४७९

६/५/१५

२० नकल आदेश डिनांक २५/३/२०१५ तिथि १०-११/१७/१/२०१५

८ घारा १५३ श्रीमा - नेवाडा पर्याना - दिक्षास्तुर्गवी
तहलील - बेल्यरा श्री. जगद्वा - बोलिया श्री हरदेव कालेश
नीवाडा, बरवाँ स्त्रीपट्टी बज्जिया वसाम हज्जा लोबाल
व न्यायालय उपशिला दिक्षारी बेल्यरा २५.
जगद्वा बोलिया ता० क्र० ३१५/१५ *

नी॒ - बोलियी दे॒ न्याय आदेश श्री हादाच्छि संलग्न है।

३

न्यायिक उपजिला विधिकारी बेलथरा शेड बलिया

वाद सं० ४ ।।/17.01.2015

धारा 143 यू० पी० जेड. एल. आर. एट.

नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, पश्चिमा सिकंदरपुर गवर्नर
तहसील - बेलथरा शेड, जिला - बलिया

श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया

बनाम

हल्का लेखपाल

निर्णय



प्रस्तुत वाद सं० लाल बचन यादव प्रबंधक श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया ने दाखिल कर निवेदन किया था कि आयजी नं० तफसील जैल नं० 12 रक्ता 1.06 एकड़ी, भूमि अर्थात् 10600 वर्ग मीटर भूमि इनकी भूमिधारी की आयजी है जिसमे मौके पर भूमिधारी निर्माण होकर श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया चलता है तथा उक्त आयजी वर्तमान समय में कृषि उपयोग में नहीं लायी जा रही है पूर्ण रूप से महाविद्यालय का निर्माण होने से मौके पर आबादी की शक्ति में है। मुताबिक मौका व् असलियत के उक्त भूमि को आबादी घोषित किया जाना अत्यंत आवश्यक है अर्थात् अंत में उन्होंने निवेदन किया है कि भूमि को आवश्यक जाँच करकर आबादी घोषित किये जाने की कृपा किया जाए। नियमानुसार वाद पंजीकृत कर तहसील भूलेख नियम 135(1) के तहत प्रोफार्मा में आख्या तलब की जर्यी जो प्राप्त होकर संलग्न पत्रावली है किसी पक्ष द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की जर्यी।

मैंने वादी के अधिवक्ता के तर्फ को सुना तथा पत्रावली व् उसपर प्रस्तुत साक्ष्य व् सबूतों व् आख्या का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 12.04.2015 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि खाता सं० 12 रकबा 1.060 है, भूमि अर्थात् 10600 वर्ग मीटर भूमि श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया प्रबंधक लाल बचन यादव पुत्र रघुवर देव यादव, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया के नाम राजस्व अभीलेखों में दर्ज है उक्त आयजी में 1 पवकी दो मंजिला ईमारत बनी हुई है। जिसे आबादी श्रेणी 6(5) कायम किया जा सकता है। वादी के अधिवक्ता के कथन को सुनने व् पत्रावली

अवलोकन करने उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि इस भूमि में किसी भी प्रकार का कृषि कार्य नहीं होता है। फलस्वरूप इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जाना चाहिए संगत है।

आदेश



आदेश: तहसीलदार बेलधर योड की आश्वादा दिनांक 12.04.2015 को स्वीकार करते हुए भूमि नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, परगाना सिंकंदरपुर गर्वी, तहसील बेलधर योड के खाता संख्या १०६०० रकबा १.०६० है, भूमि अर्थात् १०६०० वर्ग मीटर भूमि श्री हरदेव कालेज, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी, बलिया प्रबंधक लाल बचन यादव पुत्र स्व० हरदेव यादव, नेवादा, बरवां रत्ती पट्टी बलिया के ग्राम स्क्रमणीय भूमिधर दर्ज हैं जो धारा 143 द्य० पी० जोड. एल. आर. एवट. के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है तथा उसे रु० ३६७ के मालगुजारी से मुक्त किया जाता है। परवाना अमल ढारमद जारी है। वाद आवश्यक कार्यवाही दखिल दफतर हो।

उपजिलाधिकारी कार्यालय-बेलधर योड
प्रार्थना पत्र का दिनांक १२.४.१५
हेदार दरने का दिनांक १२.४.१५
लगी दरने का दिनांक १२.४.१५
उत्तर २०.४.१५
हस्ताक्षर १२.४.१५

नकल मत्र D.
त्रिलान कर्ता D.
भ्रष्ट भगवत्त - २७५

(रामानुज सिंह)
उपजिलाधिकारी
बेलधर योड

